न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, गरौठा, जिला झांसी।

फौ. वाद संख्या – 1065/2016

सरकार **बनाम** **कौशल किशोर।**

मु0 अ0 सं0–156/2016
धारा– 3/25 आयु0 अधि0
थाना– एरच,
जिला– झांसी।

मैं, **राहुल कुमार सिंह**, न्यायिक मजिस्ट्रेट, गरौठा, जिला झांसी आप कौशल किशोर को निम्न रूप में आरोपित करता हूँ :–

प्रथम–यह कि दिनांक 10.07.2016 समय करीब 02.25 बजे दिन, बहद वृषभान के फार्म के सामने, बामौर, थाना एरच, जिला झांसी में आपके कब्जे से नाजायज एक देशी पिस्टल 32 बोर मेग्जीन व मेंग्जीन केंच लगा हुआ बरामद हुआ, जिनका लाइसेन्स तलब किया गया तो आपके द्वारा नहीं दिखाया गया, जो आयुद्ध अधिनियम की धारा 3/25 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आता है और न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतदद्वारा मैं आपको निर्देशित करता हूँ कि आपका विचारण उपरोक्त धारा में इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनांकः 09.04.2018

(राहुल कुमार सिंह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
गरौठा, झांसी

उपरोक्त आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्त ने आरोप से इन्कार किया व विचारण की याचना की।

दिनांकः 09.04.2018

(राहुल कुमार सिंह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
गरौठा, झांसी